ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) मामले पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में रूपात्मकताओं की जांच की जा रही है। औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में निजी उद्योग में कैप्टिव विद्युत संयत्रों की स्थापना किए जाने पर प्रतिबंध नहीं है।

उन स्थानों पर कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, जहां पर्याप्त मात्रा में तथा सतत् आधार पर विद्युत की आवश्यकता होती है और विश्वसनीय विद्युत सप्लाई आवश्यक होती है। 25 मेगावाट तक की क्षमता के संबंध में इस प्रकार की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए राज्य बिजली बोर्ड सक्षम है। 25 मेगावाट से अधिक प्रस्तावित क्षमता वाले मामलों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक है।

कोल इंडिया लिमिटेड की समिति के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति

1948 **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की समिति के पूर्व अध्यक्ष, श्री जे० सी० कुमारमगलम की मृत्यु के पश्चात कोल इंडिया लिमिटेड कपनी के पुनर्गठन के लिए गठित की गयी समिति के अध्यक्ष के पद पर कोई नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है, और

(घ) क्या कुछ खदानों के प्रधान कार्यालय मध्य प्रदेश के बाहर स्थापित किये जाने के कारण पेश आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में स्थित खदानों के प्रधान कार्यालय मध्य प्रदेश में ही स्थापित किये जायेंगे?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने 1987 में स्वर्गीय श्री जे० सी० कुमारमंगलम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:—

(i) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कलकत्ता में स्थित कार्यालयों की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की प्रत्याशित आवश्यकताओं के क्रियाकलापों की जांच।

(ii) कार्यालयों को क्रियात्मक एकीकरण द्वारा युक्तिसगत करने और परस्पर-व्यापी कार्यों में कमी करने की संभावनाओं की जांच।

(iii) कार्यालयों के कर्मचारियों की कार्यपद्धति की जांच करने और अधिक कार्यक्षमता प्राप्त किए जाने की दृष्टि से युक्तिसंगत ढग से परिवर्तन सुझाये जाने।

(iv) समग्र रूप से फर्शी (फ्लोर) क्षेत्र की आवश्यकताओं का अध्ययन करने और उपलब्ध फर्शी क्षेत्र की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश किए जाने।

स्व० श्री जे० सी० कुमारमंगलम के साथ विचार विमर्श के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इस संबंध में बड़े परिवर्तन किए जाने के लिए बहुत कम गुंजाइश है। अतः स्वर्गीय श्री जे० सी० कुमारमंगलम की मृत्यु के बाद इस मामले पर आगे कार्रवाई करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, जिनका मुख्यालय क्रमशः बिलासपुर और सिंगरौली में है (दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं) तथा यह अधिकतर मध्य प्रदेश में अवस्थित कोयला खानों में खनन कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश की केवल एक कोयला खान का खनन कार्य परिचालन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा किया जा रहा है और इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।